2559

विक्रय–पत्र

10000x1 = 10000
1000x1 = 1000
100x2 = 200

विक्रय मूल्य	1,12,000/–रूपये
बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया है	1,12,000/–रूपये
स्टाम्प शीट की संख्या	11.200
स्टाम्प शुल्क	11,200/–रूपये
आवास शुल्क	सहित
किस्म जमीन	आवासीय
रकबा विक्रीत भूमि	0.0202है0
मौजा	शंकरपुर हकुमतपुर
मुख्य चकराता मार्ग से दूरी	1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर
सर्किल रेट	550/–रू0प्रति वर्गमी0

नकल पर देय स्टाम्प......10......
असल पर देय स्टाम्प.....11200

श्री हुकम पुत्र घासी निवासी ग्राम शंकरपुर हकुमतपुर, परगना पछुवादून, जिला–देहरादून। ....विक्रेता

एवम्

श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र मुन्शीराम निवासी मकान नं0–304, खुडबुडा मौहल्ला, देहरादून, जिला–देहरादून। ....क्रेता।

के पक्ष में अंकित एवं निष्पादित किया।

विक्रीत भूमि का विवरण विक्रय विलेख के अन्त में सूची में वर्णित किया गया है।

नि.अ.
हुकम

राजेन्द्र कुमार

2

(2)

विक्रय–पत्र

श्री हुकम पुत्र घासी निवासी ग्राम शंकरपुर हकुमतपुर, परगना पछुवादून, जिला–देहरादून।

.........................विक्रेता

एवम्

श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र मुन्शीराम निवासी मकान नं0–304, खुडबुडा मौहल्ला, देहरादून, जिला–देहरादून।

.............क्रेता।

विदित हो कि मैं विक्रेता इस विक्रय पत्र के अन्त में लिखित भूमि का एकमात्र स्वामी, मालिक, काबिज, भूमिधर हूँ। विवरण में दी गई भूमि हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, कर्जो–विवादों ऋण कुर्की बैय आदि से मुक्त व रहित है तथा विक्रय हेतु मेरे स्वामित्व की हैं। जिसको विक्रय करने एवम हर प्रकार से हस्तान्तरण करने आदि के पूर्ण अधिकार मुझ विक्रेता को कानूनन प्राप्त है। राजेन्द्र कुमार

नि.अ.
हुकम

इसलिए मुझ विक्रेता ने बिना किसी दबाव के वरन अपनी खुशी व रजामंदी से निम्नलिखित भूमि को मु0–1,12,000/–रूपये (एक लाख बारह हजार रूपये) में, क्रेता महोदय उपरोक्त को सर्वाधिकार सहित, सब– सुखाधिकार सहित, हर प्रकार से, मूलरूप से पवित्र व स्वच्छ दशा में विक्रय कर दिया है। कुल विक्रय मूल्य मुझ विक्रेता के द्वारा नकद रूप से प्राप्त कर लिए है। जिनका प्राप्त होना मुझ विक्रेता को एतद्द्वारा स्वीकार है। इस प्रकार से कुल कीमत प्राप्त हो चुकी है। कीमत के मध्य कुछ भी लेना–देना शेष नही रहा है।

यंह कि कब्जा क्रेता महोदय को आज ही विक्रीत भूमि पर मौके पर सम्बन्धित सभी अधिकारो सहित अपने समान ही करा दिया गया है।

यह कि आज से क्रेता महोदय को अधिकार होगा कि वह जिस तरह से चाहे, विक्रीत भूमि का उपयोग, उपभोग आदि करें, चाहे विक्रय, वसीयत, दान द्वारा हस्तान्तरित करे, अब मेरा या मेरे किसी वारिसान का निम्नलिखित भूमि से किसी प्रकार का सम्बन्ध वास्ता, हक या अधिकार नहीं रहा है।

नि॰ प्र॰ राजेन्द्र कुमार

यह कि विक्रीत भूमि के आज तिथि तक के समस्त लगान, टैक्स आदि मुझ विक्रेता ने अदा कर दिये है। आज के पश्चात क्रेता महोदय स्वयं अदा करेंगें।

यह कि मुझ विक्रेता के अधिकार या स्वामित्व में किसी भी प्रकार की कमी या विक्रयदोष आदि के पाये जाने के कारण क्रेता महोदय को कोई भी किसी प्रकार की क्षति होती है कब्जा हाथ से निकल जाता है तो मैं विक्रेता क्षतिपूर्ति मय हर्जा–खर्चा, लागत व सूद कानूनी क्रेता महोदय को अदा करने के लिए पाबन्द व वचनबद्ध हूँ।

यह कि क्रेता महोदय को यह अधिकार होगा कि वह अपना नाम बतौर स्वामी, मालिक, काबिज भूमिधर बावत विक्रीत भूमि के स्वामित्व–अभिलेखों में दर्ज करा लेवे। इसके लिए बयान, शपथपत्र, लेखपत्र आदि की आवश्यकता हुई तो मैं विक्रेता क्रेता महोदय के हक में देने के लिए सदैव पाबन्द हूँ व रहूँगा।

यह कि इस विक्रयपत्र में प्रयुक्त शब्द विक्रेता व क्रेता महोदय से आशय उनके हित–प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, वारिसान, स्थानापन्न आदि से भी है।

नि.प्र.
राजेन्द्र कुमार

वांछित विवरण

1. यह कि विक्रीत भूमि सींलिग से मुक्त है।
2. यह कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के व्यक्ति है।
3. यह कि विक्रीत भूमि का पूर्व में कोई प्रतिज्ञा पत्र पक्षों के मध्य सम्पन्न नहीं हुआ हैं।
4. यह कि विक्रीत भूमि पर पेड़, बाग, निर्माण, आदि नहीं है।
5. यह कि विक्रीत भूमि मुख्य चकराता रोड से लगभग 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
6. यह कि विक्रीत भूमि आवासीय है जिसका निर्धारित सरकारी सर्किल रेट 550/–रूपये प्रति वर्गमीटर है। जिसके हिसाब से विक्रीत भूमि की कीमत मु0–1,12,000/–रूपये होती है जिस पर नियमानुसार 11,200/–रू0 का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।
7. यह कि क्रेता महोदय मौके पर सम्बन्धित सभी अधिकारों सहित अध्यासित हो गई है।
8. यह कि क्रेता महोदय के नाम पर खुडबुडा मौहल्ला, देहरादून में अपनी पैतृक सम्पत्ति है। उत्तरांचल अधिनियम संख्या 29/2003 के प्राविधानों के अनुरूप ही विक्रय पत्र सम्पन्न किया जा रहा है।

विवरण विक्रीत भूमि

भूमिधरी भूमि खाता संख्या 206 साल 1412फसली से 1417फसली तक में खसरा नं0 2099 रकबा 0.0202है0 अर्थात 202वर्गमीटर स्थित मौजा शंकरपुर हकुमतपुर, परगना पछुवादून, तहसील विकासनगर, जिला–देहरादून ।

सम्बन्धित सभी अधिकारों सहित।

नि.अं. हु.

राजेन्द्र कुमार

अतः यह विक्रयपत्र आज दिनांक 17.04.2006 ई0 को स्थान–विकासनगर जिला–देहरादून में लिख दिया है। ताकि सनद रहे और समय पर उपयोगी सिद्ध होवे।

ह0नि0अं0 निशान कुसुम

ह0नि0अं0 निशान राजेन्द्र कुमार

ह0 विक्रेता..............................

ह0 क्रेता राजेन्द्र कुमार

ह0 साक्षी 1 Praveen Singh
श्री प्रवीण सिंह पुत्र स्व० पदम
नि० सहसपुर देहरादून।

ह0 साक्षी 2 Ranjeet Singh
श्री रनजीत सिंह पुत्र गोविन्द
सिंह नि० शंकरपुर देहरादून

रचियता–

श्री सन्दीप कुमार,
एडवोकेट।

17/4/06

टाईपकर्ता–योगेन्द्र पुण्डीर।

निशान
कुसुम

Sd/ राजेन्द्र कुमार (e) सि० हुकम सिंह (e) Sd/ Praveen Singh

Sd/ RanJoor Singh (e)

अंगूठा एवं हस्ताक्षर के चिन्ह (अंगूठे) नियमानुसार लिये गये हैं जो सबका सही होते हैं। Sd/ ओ० पी० शर्मा

बही नं. I जिल्द 633 पृष्ठ 9
ए.डी.फा.बुक नं. I जिल्द 699 पृष्ठ 521/532
में नं. 2599 पर आज दिनांक 17/4/2006
में रजिस्ट्री की गई।

Sd/ ओ० पी० शर्मा
उप निबन्धक
विकासनगर, देहरादून

प्रतिलिपि की सत्यप्रतिलिपि की

मिलना की उप निबन्धक